

LOK SABHA

Friday, March 17, 1972/Phalguna 27, 1899  
(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[ MR. SPEAKER in the Chair ]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लाभ  
के लिए प्रस्तावित विभिन्न उपाय

+

\*61. श्री फूलचन्द बर्मा :

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के कर्मचारियों, जवानों और अधिकारियों के लाभ के लिए प्रस्तावित विभिन्न उपाय क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन और भत्तों से है। यदि ऐसा है तो स्थिति यह है कि सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए नकद तथा अन्य रूप से दिए जाने वाले लाभों सहित उनकी वेतन-संरचना और मृत्यु तथा उपदान लाभ पहले ही से वेतन आयोग के विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द बर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों के संबंध में जो विचार किया जा रहा है, वेतन आयोग जिसके संबंध में अपनी पूरी रिपोर्ट देगा, क्या वे इस बात का प्रयत्न

करेंगे कि सेना के तीनों अंगों के जो जवान हैं उनके लिए वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पहले दे दे ?

श्री बिद्या चरण शुक्ल : मैं नहीं समझता इस तरह की कोई संभावना है। यदि हम प्रयत्न भी करें तो भी इसकी संभावना नहीं है कि वेतन आयोग, जिसके पाम इतना बड़ा काम है, वह पहले हमारे सशस्त्र सेनाओं के जवानों के लिए अपनी रिपोर्ट दे देगा। पर जैसा माननीय सदस्य को मालूम है कि इसके पहले अंतरिम राहत दी जा चुकी है तथा हम लोग ऐसा समझते हैं कि वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वह बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली हैं और जैसे ही वह आ जायेंगी, हमें उस पर निर्णय करने में आसानी होगी। कुछ दिनों के फर्क से इसमें कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है।

श्री फूलचन्द बर्मा : मैं मंत्री महोदय से दूसरी बात यह जानना चाहता हूँ कि जो पारिवारिक पेंशन आप जवानों को देते हैं उसमें सिर्फ पत्नी और उसके बच्चे ही शामिल रहते हैं लेकिन क्या शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि जवानों के अन्य आश्रितों के लिए भी पेंशन योजना बनाई जाये जिसमें कि उनके बूढ़े माता पिता, अन्य छोटे भाई बहन इत्यादि जो उन पर आश्रित रहते हैं, उनको भी वह लाभ मिल सके ? क्या सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है ?

श्री बिद्या चरण शुक्ल : जो अभी पेंशन योजना है उसमें इस बात का प्राविधान है और यहाँ पर भी जो उनके आश्रित लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके। मैं समझता हूँ इसको जारी रखा जायेगा।

**SHRI S C SAMANTA** We want to know about the various welfare measures for these personnel. I would like to know the recommendations of the Third Pay Commission which were fully accepted, partially accepted and not accepted and the reasons for non-acceptance of those recommendations.

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA** - The report of the Third Pay Commission is yet to be received. Therefore, the question of accepting or non-accepting the recommendations does not arise at this stage. That will arise after the recommendation of the Third Pay Commission has been received by us.

**श्री रामावतार शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ क्या यह बात मच है कि विभिन्न राज्यों में, सरकार की जो पडती जमीनें हैं उस जवानों के नाम बन्दाबस्त करन का नियम है ? यदि यह वान मच है तो क्या आप बना सकेंगे कि कितन जवानों को इस तरह की मदद जर्मन के रूप में मिली है ?

**श्री बिद्याचरण शुक्ल :** इस बात का प्रावधान है कि जो सेवामुक्त मैनिक ट्ट्यादि ह, जिनकी सहायता करनी है, उनका खर्चा का याग्य जमीन दी जाये। यह जरूरी नहीं है कि पडती जमान दी जाये बल्कि हम चाहते हैं खेतों के याग्य जमीन दी जाये। पर इस समय मेरे पास इस बात के आंकड नहीं है कि कितनी जर्मन कितन लोगों को दी गई हैं। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें पूर्ण राचना दी जायगी।

**पाकिस्तान द्वारा भारतीय युद्धबान्दियों की तथा कथित हत्या**

\*62 श्री शिव कुमार शास्त्री :  
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि पिछले युद्ध में

पाकिस्तान में बन्दी बनाये गये भारतीय सैनिकों के साथ जर्मनों कन्वेंशन के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान में बन्दी बनाये गये अनेक घायल भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राख्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) भारतीय सैनिकों के साथ पाकिस्तानियों द्वारा किये गये कथित अमानवीय व्यवहार के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इसकी जाँच करने और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय रेडक्रास की अन्तर-राष्ट्रीय समिति के माध्यम यह मामला उठाया गया है।

**श्री शिव कुमार शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ यदि सीमा परिधि से बाहर न हो तो वे बताये कि उनकी जानकारी के खेत क्या है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ अमानवीय व्यवहार में क्या अत्यन्त रोगी और घायल सैनिकों की जीवन समाप्ति तक ही है ?

तीसरी बात यह है कि अभी थोड़े दिन पहले अत्यन्त रोगी सैनिकों का आदान-प्रदान हुआ है। क्या उनसे जानकारी प्राप्त की गई है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और उनकी देखभाल और औषधियों आदि की व्यवस्था क्या ठीक रही ?

**श्री बिद्या चरण शुक्ल :** जहाँ तक अमानवीय व्यवहार की सूचना का संबंध है और उसके आधार का संबंध है, ये सूचनाएँ हमने स्वयं एकत्रित की हैं और यह सही और पक्की सूचना होने के बाद ही उसको अन्तरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के नामसे पेश किया है।